उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग–1
(नियोजन विभाग)
संख्याः 17M(4)/35–आ–1/2009–12
लखनऊः दिनाँकः सितम्बर 15, 2011

कार्यालय ज्ञाप

यूनीक आइडेन्टीफिकेशन अथॉरिटी आफ इण्डिया (यू.आई.डी.ए.आई.) की स्थापना राष्ट्र के समस्त निवासियों को यूनीक आइडेन्टीफिकेशन नम्बर उपलब्ध कराने के लिये की गयी है। यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत यू.आई.डी. (आधार) नम्बर हेतु इनरोलमेन्ट प्रक्रिया के दौरान ऐसे निवासियों, जिनके पास स्वयं की पहचान और अपने निवास स्थान के समुचित साक्ष्य उपलब्ध न हों, की पहचान एवं निवास पते के सत्यापन हेतु परिचयकर्ता (इंट्रोड्यूसर) का प्रावधान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पहचान और निवास स्थान के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के प्रमाणीकरण हेतु सत्यापक (वेरीफाइयर) की आवश्यकता होगी। उक्त कार्य में परिचयकर्ता सह सत्यापक नियुक्त करने से इनरोलमेन्ट की प्रक्रिया में गति आयेगी। इस परिप्रेक्ष्य में 1.लेखपाल 2.ग्राम पंचायत अधिकारी 3.ग्राम विकास अधिकारी 4.अध्यापक–प्राइमरी विद्यालय 5.ए0एन0एम0 6.शिक्षा मित्र 7.आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं 8.आशा को अपने–अपने कार्यक्षेत्र के लिये परिचयकर्ता सह सत्यापक के रूप में नियुक्त करने तथा उन्हें रू0 2.00 (रू0 दो मात्र) प्रति कामयाब/सफल इनरोलमेन्ट की दर से प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 17M(4)(1)/35–आ–1/2009–12 तद्दिनाँकः

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, यू.आई.डी.ए.आई., नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. राज्य यू.आई.डी. कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य एवं सदस्य सचिव।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. श्री आलोक चोपड़ा, सहायक महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, यू.आई.डी.ए.आई. लखनऊ।

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव